

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 20 मार्च, 2017

स्वीकृति संख्या:- 940/2016-17

कोषाधिकारी,
संबंधित।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में राशि रुपये 84.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्त लेख है कि शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 5() एसीटीएडी/माडा/शिक्षा जकनि /2016-17 स्वीकृति सं. 78/2016-17 दिनांक 25.03.2017 में अंकित शर्तों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में कुल राशि रु. 84.00 लाख (अक्षरे रुपये चौरासी लाख) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए उनके सामने अंकितानुसार हस्तांतरित कर दी जावे:-


मांग संख्या -30

- 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण।
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजना अन्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)।
[03] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण।
12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)।

क.सं.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राविप्र) जिला परिषद	राशि लाखों में
1	अजमेर	2.59
2	अलवर	7.07
3	बारां	3.64
4	बाडमेर	4.76
5	भरतपुर	1.75
6	भीलवाडा	1.54
7	बीकानेर	0.42
8	बूंदी	5.33
9	चित्तौड़गढ़	0.42
10	चूरु	0.77
11	दौसा	6.15
12	धौलपुर	0.77
13	श्रीगंगानगर	0.21
14	हनुमानगढ़	0.21
15	जयपुर	13.02
16	जैसलमेर	1.75
17	जालोर	0.28
18	झालावाड	0.28
19	झुंझुनू	1.54
20	जोधपुर	4.76
21	करौली	5.11
22	कोटा	0.91
23	नागौर	0.42
24	पाली	0.28

25	राजसमन्द	0.21
26	सीकर	1.96
27	सिरोही	0.77
28	सवाईमाधोपुर	4.34
29	टोंक	5.60
30	उदयपुर	6.37
31	प्रतापगढ़	0.77
	योग	84.00


उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

 (जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्(ग्राविप्र),
6. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

25	राजसमन्द	0.21
26	सीकर	1.96
27	सिरोही	0.77
28	सवाईमाधोपुर	4.34
29	टोंक	5.60
30	उदयपुर	6.37
31	प्रतापगढ़	0.77
	योग	84.00